नेपाल में भारतीय समाचार पत्रों को जब्त किया जाना और उन पर रोक लगाया जाना

1016. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जनवरी, 1990 को भारतीय समाचार पत्रों को काठमांडु के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुंचते ही जब्त कर लिया था और नेपाल में भारतीय समाचार पत्रों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि नेपाल सरकार और इसके समाचार माध्यमों द्वारा भारत विरोधी वक्तव्यों को प्रमुखता दी जा रही है; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क) जी नहीं । तथापि, 19 जनवरी, 1990 को वहां जो अखबार पहुंचे, उन्हें संबद्ध नेपाली प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था और उनका वितरण रोक दिया गया था । बाद में भारतीय अखबारों और पत्रिकाओं के बहुत से अंकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और काठमांडु में उनकी प्रतियां जब्त कर ली गई ।

(ख) जी नहीं । नेपाल की सरकार ने भारत-विरोधी कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिए हैं और न ही नेपाल के सरकारी अखबारों ने ही ऐसे वक्तव्य दिए हैं । तथापि राष्ट्रीय पंचायत के अध्यक्ष श्री नवराज सुबेदी ने 16 फरवरी, 1990 को रेडियो नेपाल पर प्रसारण के विशेष सन्दर्भ में, जिसमें भारत और कतिपय भारतीय नेताओं के बारे में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें कही गई थीं, नेपाल के भारत स्थित राजदूत के साथ मामले को तत्काल उठाया गया था और औपचारिक रूप से विरोध प्रकट किया गया था । सफाई में नेपाल की सरकार ने कहा कि श्री सुबेदी के बयान किसी भी तरह उनके आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

दूरदर्शन में भ्रष्टाचार

1017. **श्री राम जेठमलानी** :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1990 के "हिन्दू" में "मिनिस्टर एडमिट्स करप्शन इन दूरदर्शन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली फिल्मों के चयन में भारी भ्रष्टाचार होता है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (घ) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फिल्मों के चयन के बारे में कर्मचारियों के खिलाफ समय-समय पर प्राप्त आरोपों/शिकायतों की नियमानुसार जांच की जाती है और जब आवश्यक समझा जाता है तब केन्द्रीय सर्तकता आयोग से उपयुक्त कार्रवाई के लिए परामर्श लिया जाता है । "दि हिन्दू" में दिनांक 7-2-90 को छपी रिपोर्ट में दूरदर्शन के किसी अधिकारी/स्टाफ विशेष का उल्लेख नहीं है । तथापि, सरकार का प्रयास है कि प्रक्रिया में परिवर्तन कर भ्रष्टाचार के सभी संभव स्रोतों को खत्म कर दिया जाए ।